Annexure-I

एवीआई के लिए समझौता ज्ञापन MOU for AVIs

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस)
National Institute of Open Schooling (NIOS)

प्रथम पार्टी /First Party
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस)
ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर-62,
नोएडा-201309 (उ.प्र.)
National Instit ute of Open Schooling (NIOS)
A-24/25, Institutional Area, Sector-62,
Noida-201309 (U.P.)

द्वितीय पार्टी /Second Party
(एनआईओएस द्वारा प्रत्यायित व्यावसायिक संस्था)
जो एवीआई/अध्ययन केंद्र के नाम से जानी जाती है।
(Institution accredited by NIOS)
Known as AVI/Study Centre

समझौता ज्ञापन (एमओयू)/MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

1. प्रारंभ में एक संस्थान (एवीआई) अस्थायी तौर पर प्रत्यायित होगा। एनआईओएस समय-समय पर एवीआई के लिए निश्चित किए गए नियमों और शर्तों के निरंतर पालन और लागू करने पर यह अवधि बढ़ा सकता है।
Initially an Institution (AVI) would be accredited provisionally. This term can be extended by the NIOS on continuous compliance & fulfilment of the terms & conditions laid down by the NIOS from time to time for the AVI.

2. एनआईओएस द्वारा प्रत्यायित संस्था/प्रमुख ही एवीआई के समन्वयक होंगे और बिना किसी डर अथवा पक्षपात के कार्य करेंगे। यदि किसी स्थिति में प्राचार्य त्यागपत्र देते हैं अथवा उनके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति आता है, तो वह नया व्यक्ति एवीआई का समन्वयक होगा। समन्वयक की शक्तियां अहस्तांतरणीय हैं। समन्वयक के परिवर्तन के बारे में एनआईओएस से अनुमोदन लेने के लिए तुरंत सूचित किया जाए । केवल विशेष परिस्थिति में ही, यदि एनआईओएस का अनुमोदन हो तो संस्था के प्राचार्य/प्रमुख उप प्राचार्य या किसी वरिष्ठ अधिकारि को एवीआई के समन्वयक के रूप में नामित कर सकता है। समन्वयक के रूप में पहले कार्य कर चुके व्यक्ति का एनआईओएस पर किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
प्रत्यायन के पश्चात, एनआईओएस का अध्ययन केंद्र समन्वयक के नियंत्रण में कार्य करेगा।
The Principal/Head of the Institution accredited by the NIOS will be the Coordinator of the AVI and will work without any fear or favour. In case the Principal resigns or is substituted by another person, the new incumbent shall be the Co-ordinator of the AVI. The powers of the Co-ordinator are non-transferable. The change of the Co-ordinator should be intimated to the NIOS immediately for obtaining the approval of NIOS. Only in exceptional circumstance, subject to the approval of NIOS, the Principal/Head of the Institution may nominate Vice Principal or a Senior Officer as the Co-ordinator of the AVI. The person who had been acting as a Co-ordinator earlier will have no claim whatsoever against the NIOS in any manner.
After accreditation, Study Centre of NIOS will function under the control of the Co-ordinator.

3. परिस्थितियों की तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर एनआईओएस द्वारा वांछित और संप्रेषित इस प्रकार के कार्यों और गतिविधियों के अतिरिक्त एवीआई एनआईओएस की ओर से निम्नलिखित कार्य करेगा:

The AVI shall perform the following functions on behalf of NIOS besides such other acts, deeds and functions as may be desired and communicated by NIOS from time to time according to the exigencies of the circumstances:

3.1 एनआईओएस द्वारा निर्धारित मूल्य पर तथा नियमों व शर्तों और प्रक्रियाओं के अनुसार एनआईओएस विवरणिका की बिक्री करेगा। एवीआई द्वारा प्रवेश-पूर्व परामर्श निःशुल्क दिया जाएगा।
Sale of Prospectus of Vocational Education Courses of NIOS at the price as indicated and in accordance with the terms and conditions and procedures laid down by NIOS. The AVI shall organise pre-admission counselling free of charge.

3.2 एनआईओएस ने पंजीकरण करने वाले शिक्षार्थियों की सहायता के लिए ऑन-लाइन प्रवेश की सुविधा आरंभ की है। अतः एवीआई एनआईओएस में ऑन लाइन प्रवेश लेने वाले शिक्षार्थियों की मदद करेगा और उनका नामांकन करेगा जिन्हें ऑन लाइन प्रणाली द्वारा एवीआई आबंटित किये गये हैं ।
NIOS has introduced the facility of on-line admission in order to facilitate the learner in registering with it. Therefore, the AVI shall facilitate and enroll the learner, who has taken on-line admission in NIOS and has been allotted the AVIs through its on-line system.

3.3 एनआईओएस द्वारा प्रत्यायित व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथियों में फॉर्मों के साथ निर्धारित शुल्क लेना जो नकद अथवा संबंधित एवीआई के समन्वयक के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में होगा। एवीआई प्रत्येक भरे हुए आवेदन की मूल प्रति एनआईओएस को अग्रेषित करेगा और दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित समयावधि में एकत्र की गई शुल्क राशि का एनआईओएस का अंश एनआईओएस के संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र को भेजेगा। एवीआई प्रत्येक प्रवेश फॉर्म की दूसरी प्रति और उसके यहाँ नामांकित शिक्षार्थियों के विवरण का पूरा रिकॉर्ड रखेगा और यदि एनआईओएस द्वारा विवरण मांगा जाएगा तब उसे प्रस्तुत करेगा। यदि एवीआई चाहे तो अपनी इच्छानुसार अपने हिस्से का शुल्क कम ले सकता है।
Acceptance of forms within notified dates for admission to Vocational Education Courses accredited by the NIOS along with the prescribed fee either in cash or through bank draft drawn in favour of the Coordinator of the AVI concerned. The AVI shall forward the original copy of each filled-in Application Form and shall remit to NIOS share of fee collected, to the concerned Regional Centre of NIOS within stipulated time period as per guidelines. The AVI shall keep copy of each admission form and complete record of the particulars of learners enrolled with it and produce it promptly to NIOS, if desired. The AVI may charge less fee as per its discretion out of its share.

3.4 एनआईओएस द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रवेश शुल्क और प्रवेश फॉर्मों को स्वीकार करने के बाद एवीआई शिक्षार्थियों को निर्धारित प्रोफार्मा/प्रारूप में अस्थायी प्रवेश पत्र जारी करेगा । जो शिक्षार्थी सभी नियमों और शर्तों को पूरा करते हैं और जिनके प्रवेश फॉर्म के साथ निर्धारित शुल्क समय पर प्राप्त हो गये हैंए उन्हें एनआईओएस द्वारा प्रवेश दिया जाएगा और प्रवेश की पुष्टि की जाएगी।
After acceptance of admission fee and the application forms in accordance with the procedure laid down by NIOS, the AVI shall issue Provisional Admission Letters to the learners in the prescribed proforma/format. Admission of those learners who fulfil all terms and conditions and whose Application Forms along with prescribed fee are received within time shall be admitted and confirmed by NIOS.

3.5 एवीआई शिक्षार्थियों को एनआईओएस से प्राप्त पहचान पत्र (आई-कार्ड) निःशुल्क जारी करेगा और सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक शिक्षार्थी को पहचान पत्र जारी किया गया है क्योंकि यह एनआईओएस परीक्षाओं में बैठने के लिए हॉल टिकट का भी कार्य करता है। एवीआई एनआईओएस क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा प्रदान किए गए प्रवेश संबंधी विवरण की जाँच सूची सत्यापित करेगा और उसमें संशोधन करेगा तथा निर्देशानुसार उसे लौटाएगा । शिक्षार्थियों को सलाह दी जाए कि जैसे

ही पहचान पत्र प्राप्त हो, वे उसमें दिये गए विवरण जांच लें और सत्यापित करें । यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो संशोधन के लिए उसकी सूचना एनआईओएस क्षेत्रीय केंद्र को दी जाए ।

The AVI shall issue Identity Cards (I-cards) to the learners received from NIOS free of charge and would ensure that no learner is without an I-card as it also serves as Hall Ticket for appearing in the NIOS Examinations. The AVI shall verify and correct the Check List of the admission data provided by NIOS Regional Centre and return it as per the instructions. On receipt of I-card, the learner may be advised to check the particulars given therein and verify the same. In case some discrepancy is noticed, the same may be informed to NIOS Regional Centre for correction.

3.6 एवीआई नामांकित शिक्षार्थियों को एनआईओएस द्वारा भेजी गई अध्ययन सामग्री निःशुल्क और बिना देरी किए वितरित करेगा । यदि निर्धारित तिथियों में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होती है तो एवीआई को एनआईओएस से प्राप्त करनी होगी और शिक्षार्थियों को शीघ्र वितरित करनी होगी । यदि अध्ययन सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता या अधिक मात्रा में है तो शिक्षार्थियों को वितरित करने की तिथि से दो महीने के भीतर उसे एनआईओएस में जमा कराना होगा।
The AVI shall distribute to the enrolled learners the learning material supplied by NIOS free of charge and without any delay. In case of non-receipt of learning material within the stipulated date, the AVI shall endeavour to procure it from NIOS and distribute it to the learners expeditiously. In case the instructional material is unused or in excess, the account of the same would be submitted to NIOS within a period of 2 months from the stipulated date of distribution to the learners.

3.7 एवीआई शिक्षार्थियों से निर्धारित परीक्षा शुल्क प्राप्त करेगा और निर्धारित तिथियों में ही शुल्क विवरण/दस्तावेज़ सहित एनआईओएस के क्षेत्रीय केंद्र को भेजेगा । यदि परीक्षा शुल्क समय पर भेजा नहीं जाता तो किसी भी प्रकार के दावों क्षतिपूर्ति और अन्य स्थितियों के लिए एवीआई उत्तरदायी होगा ।
The AVI shall accept the prescribed examination fee from learners and remit the same with details/documents to the concerned Regional Centre of NIOS within the stipulated dates. The AVI will be liable for any claims, damages and other consequences in case the examination fee is not forwarded in time.

3.8 शैक्षिक वर्ष के दौरान एवीआई द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रम (मों) की पाठ्यचर्या में प्रदान किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार एवीआई व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (पीसीपी) और प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (पीटीपी) का आयोजन निःशुल्क करेगा ।
During the academic year, the AVI shall conduct free of charge the Personal Contact Programmes (PCPs) and Practical Training Programmes (PTPs) as per the guidelines provided in the curriculum of the course(s) offered by the AVI.

3.9 एवीआई विभिन्न पाठ्यक्रमों में यदि कोई आंतरिक मूल्यांकन निर्दिष्ट होगा तो लिखित कार्यों प्रयोग गतिविधियों परियोजनाओं आदि द्वारा शिक्षार्थियों का निःशुल्क आंतरिक मूल्यांकन आयोजित करेगा और इस कार्य के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार एनआईओएस के संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र को इसके अंक भेजेगा ।

The AVI shall conduct free of charge the Internal Assessment of its learners through assignments, practicals, activities, projects etc. as prescribed in various courses, if any and forward the awards to the concerned Regional Centre of NIOS, as per the guidelines provided for this purpose.

3.10 यदि आवश्यकता हुई तो एवीआई को एनआईओएस के निर्देशानुसार एनआईओएस की सार्वजनिक परीक्षाएँ आयोजित करनी होंगी और सभी आवश्यक गोपनीयता और कार्यक्षमता बनाए रखनी होगी और सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने के लिए किसी प्रकार के अधिकार का दावा नहीं करेगा। एवीआई का समन्वयक केंद्र अधीक्षक के रूप में कार्य करेगा।

The AVI shall conduct external examinations of NIOS only, if required, and as directed by NIOS in a free and fair manner and will maintain all necessary confidentiality and efficiency and will not claim any right for conducting the external examination. The co-ordinator of AVI will act as Centre Suptd.

3.11 एवीआई एनआईओएस के लिए कार्य करेगा और अपने लाभ के लिए शिक्षार्थियों एनआईओएस या किसी अन्य अधिकारी को धोखा नहीं देगा। एवीआई की गतिविधियों में किसी बाहरी सदस्य के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होगी।
The AVI shall work for the cause of NIOS and shall not exploit the learners, NIOS or any other authority for gaining any undue favour. No outside person will be allowed to interfere in the functioning of AVI.

3.12 एनआईओएस के मतानुसार और समय-समय पर एवीआई को दिये गए निर्देशों के अनुसार एवीआई को शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक स्वच्छता, सफाई, हवादार वातावरण, पानी, शौचालयों और अन्य सुविधाओं के संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।
The AVI shall fulfill all requirements regarding sanitation, cleanliness, proper ventilated environment, water, toilets and other facilities required for the learners in the opinion of NIOS and as communicated to the AVI from time to time.

4. एवीआई विवरणिकाओं की बिक्री संबंधी लेखा और विभिन्न व्यक्तियों को किए जा रहे भुगतान के विवरण, विवरणिका की बिक्री समाप्त होने से 60 दिनों के भीतर देने के लिए उत्तरदायी होगा, अन्यथा 10/- रु. प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लिया जाएगा।
The AVI shall be liable to furnish accounts of sale of the prospectus and details of the payments made to various persons within a period of 60 days after the closure of sale of prospectus, failing which penalty @ Rs. 10/- per day shall be levied on it.

5. एवीआई को एनआईओएस के निर्देशों एवं शर्तों के अनुसार उपयुक्त कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ, कार्यशालाएँ, कार्य केन्द्र, पुस्तकालय और अन्य सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी और उनका रखरखाव करना होगा ।
The AVI shall provide and maintain proper classrooms, laboratories, workshops, work centres, library and other facilities as per the directions and conditions laid down by NIOS.

6. एवीआई के लिए मानक कार्य प्रणाली (एसओपी) इस समझौता ज्ञापन एमओयू का ही अंग है और एसओपी के सभी प्रावधान सभी एवीआई के लिए बाध्य हैं। सभी एवीआई नए एसओपी के अनुसार सारे कार्य करेंगे और सिद्धांत और व्यवहार दोनों दृष्टियों से इसका पालन करेंगे।
The Standard Operating Procedure (SOP) for AVI forms the part of this MOU and all provisions of the SOP in force are binding on all the AVIs. All the AVIs will discharge all the functions, as per the SOP and follow it in letter and spirit.

7. एवीआई को उन सभी शर्तों, निर्देशों और अनुदेशों का पालन करना होगा जिन्हें एनआईओएस समय-समय पर अपने मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) कार्यक्रम के लिए और मुक्त शिक्षा के लक्ष्यों को संतोषजनक रूप से प्राप्त करने के लिए जारी करेगा।
The AVI must comply with all such terms, directions and instructions which may be issued from time to time by NIOS for the purpose of its Open and Distance Learning (ODL) programme and endeavour for achieving the objectives of open learning.

8. एवीआई एनआईओएस द्वारा गठित दलों को अध्ययन केन्द्र का निरीक्षण करने देगा एवं सहयोग करेगा ।
The AVI will allow and co-operate in the inspection of the AVI by the teams constituted by NIOS.

9. समन्वयक एनआईओएस द्वारा अलग से दिए गए अधिकार के अनुसार एक बचत बैंक खाता खोलेंगे और उसका हिसाब रखेंगे।
The Co-ordinator shall open and maintain a Savings Bank Account as per the authorization given by NIOS separately.

10. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान शिक्षार्थियों के उपयोग के लिए ऑडियो और वीडियो कैसेट एवीआई (अध्ययन केन्द्र) को निःशुल्क प्रदान करने का प्रयास करेगा। एवीआई अपने वीडियो और टेलीविजन तथा ऑडियो कैसेट चलाने वाले उपकरणों का निःशुल्क उपयोग एनआईओएस द्वारा दी गई ऑडियो/वीडियो सामग्री के लिए करेगा । एवीआई शिक्षार्थियों के लाभ के लिए मुक्त विद्या वाणी के प्रसारण हेतु कार्यक्रम में उचित स्लोटों का प्रावधान करेगा ।
The NIOS shall endeavour to provide Audio and Video Cassettes free of charge to the AVI for the use by the learners. The AVI will use its Video and Television and Audio Cassettes players free of charge for making use of Audio/Video material supplied by NIOS. The AVIs should make provision of suitable slots in the programmes for broadcast of Mukt Vidya Vani for the benefit of learners.

11. किसी नियम एवं शर्त के भंग होने और/अथवा सुपुर्द कार्यों के बारे में एनआईओएस द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर एनआईओएस के पास सूचना देकर अथवा बिना सूचना दिए एवीआई को स्थगित या बंद करने का अधिकार है। बंद होने के बाद शिक्षार्थियों आदि के स्थानांतरण आदि का उत्तरदायित्व एवीआई का होगा। अन्य बातों के अतिरिक्त यदि प्रत्यायित व्यावसायिक संस्था को निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार की अनुपयुक्तता/अनियमितता में संलग्न पाया गया तो एनआईओएस के पास प्रत्यायन को वापिस लेने तथा 15000/- रु. (पंद्रह हजार रुपए केवल) जुर्माना लेने का अधिकार सुरक्षित हैः-
In case of breach of any terms and conditions and /or non-compliance of directions/guidelines given by NIOS in the context of assigned tasks, the NIOS reserves the right to suspend or cancel the accreditation of the institution with or without any notice. The liability of transfer of learners etc. after the closure will be that of the AVI. Among other things, the NIOS reserves the right to withdraw accreditation and impose a penalty of Rs. 15,000/- (Rs. Fifteen thousand only) in case the AVI is found indulging in any of the following improprieties/irregularities:

11.1 एनआईओएस द्वारा निश्चित नियमों के अनुसार शिक्षार्थियों को आवश्यक शैक्षिक और प्रशासनिक सहायता न देना।
Failure to provide necessary academic and administrative support to the learners as per prescribed norms fixed by NIOS.

11.2 शिक्षार्थियों से एनआईओएस द्वारा निर्धारित शुल्क राशि से अधिक शुल्क लेना।
Charging fee from the learners over and above the fee prescribed by NIOS.

11.3 सेवा शुल्क अथवा किसी अन्य मामले/कार्यों के लिए अतिरिक्त राशि लेना।
Accepting extra money towards service charges or for any other items/tasks.

11.4 निर्धारित समय में एनआईओएस द्वारा दी गई अध्ययन सामग्री का वितरण शिक्षार्थियों को न कर पाना।
Non-distribution of study material supplied by NIOS to learners within stipulated time.

11.5 शिक्षार्थियों से एनआईओएस अध्ययन सामग्री के वितरण के लिए अतिरिक्त पैसे लेना।
Charging additional money for distribution of NIOS study material to the learners.

11.6 एनआईओएस से प्राप्त वित्तीय लेनदेन और स्टॉक का सही रिकॉर्ड बनाकर न रखना।
Non-maintenance of proper records of financial transactions and stocks received from NIOS.

11.7 एनआईओएस द्वारा दिए गए कार्यों के अतिरिक्त एनआईओएस उपयोग से संबंधित वित्तीय अनियमितताएँ।
Financial irregularities relating to use of NIOS funds for purposes other than those laid down by NIOS.

11.8 कोई ऐसे विचार या उद्देश्य को विकसित या प्रचारित करना जो देश की संप्रभुत्ता, एकता या अखंडता के विरुद्ध हो।
Promoting and propagating an idea/objective which is against the solidarity, sovereignty or unity of the country.

11.9 संतोषजनक कक्षाएँ, प्रयोगशालाएं, कार्यशालाएं, कार्य केन्द्र और पुस्तकालय इत्यादि भौतिक सुविधाओं में कमी और न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें सुधारने में अरुचि।
Deterioration of physical facilities and unwillingness to improve them to meet minimum requirements in terms of satisfactory classrooms, laboratory, workshops, work centres and library facilities.

11.10 एनआईओएस परीक्षाओं के आयोजन के लिए भवन और कर्मचारी देने से मना करना।
Refusal to provide building and staff for the conduct of NIOS Examinations.

11.11 परीक्षा में गलत कार्यों को बढ़ावा देना।
Abetting unfair means in examination.

11.12 परीक्षा केन्द्र का अपर्याप्त पर्यवेक्षण जिससे केन्द्र पर परीक्षा के दौरान शिक्षार्थी अनुचित साधनों का उपयोग/सामूहिक नकल करते हैं।
Inadequate supervision of the Examination Centre enabling learners to use unfair means/mass copying during the examination at the centre.

11.13 लगातार दो वर्षों तक 10 से कम शिक्षार्थियों का प्रवेश।
Admission of less than 10 learners per course for two consecutive years.

11.14 एनआईओएस द्वारा तैयार किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) में दी गई भागीदारी की शर्तों को पूरा न करना।
Non-fulfilment of conditions of partnership as spelled out in Memorandum of Understanding (MOU) executed with NIOS.

11.15 लगातार दो वर्षों तक अध्ययन केन्द्र के रूप में एवीआई के खराब शैक्षिक परिणाम और उसे ठीक करने में समर्थ न होना।
Poor academic performance of the AVI functioning for two consecutive years and not being able to keep the desired performance.

11.16 प्रवेश, परीक्षा और अन्य दिए गए कार्यों से संबंधित कोई अन्य बुरा व्यवहार, जिससे एनआईओएस की दृष्टि में संस्था का प्रत्यायन तुरंत वापस ले लेना चाहिए।
Any other misconduct in connection with the admission, examinations and other assigned tasks which in the opinion of NIOS warrants immediate withdrawal of accreditation of the institution.

11.17 क्षेत्र से संबन्धित किसी ऐसी विशेष जानकारी का खुलासा न करना जिससे एवीआई शैक्षिक सत्र के दौरान बंद भी हो सकता है।
Non-disclosure of any region-specific information which may lead to the closure of the AVI during the academic session.

11.18 एनआईओएस के नियमों के विरुद्ध अतिरिक्त शुल्क लेकर कोचिंग/सहायक कक्षाओं में शिक्षा प्रदान करने के लिए एनआईआईओएस सामग्री का प्रयोग।
Usage of NIOS material for imparting education in the coaching/remedial classes by charging any amount which is not prescribed in NIOS norms.

11.19 एनआईओएस द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक शिक्षार्थियों का नामांकन करना।
Enrolling learners beyond the accreditation allotted by NIOS to it.

12. एनआईओएस अपने कर्मचारियों के दल अथवा नियुक्त प्रतिनिधि द्वारा किसी भी कार्य दिवस पर किसी भी समय बिना कोई पूर्व सूचना दिए एवीआई के कार्य, मूलभूत सुविधाओं, प्रशासनिक कार्यों आदि का निरीक्षण कर सकता है।
NIOS can, at any point, inspect the working, infrastructure, administrative functioning etc., of the AVI without prior notice on any working day by a team comprising of official of NIOS or official deputed by NIOS.

13. निरीक्षण करने पर यदि पाया गया कि एवीआई का कार्य स्तरीय नहीं है तो प्रत्यायन रद्द किया जाएगा और शिक्षार्थियों के स्थानांतरण का खर्च एवीआई उठाएगा ।
Upon inspection, if the functioning of the AVI is not found upto the mark and accreditation is thereafter withdrawn, the cost involved in shifting the learners would be borne by the AVI.

14. यदि एवीआई अपनी सेवाएँ जारी रखने में असमर्थ है तो वह प्रत्यायन लौटा सकता है परन्तु किसी भी परिस्थिति में सत्र के बीच में ऐसा नहीं किया जाएगा। किसी भी मामले में शिक्षार्थियों आदि के स्थानांतरण में लगी लागत का भुगतान एवीआई द्वारा किया जाएगा।
The AVI may also surrender its accreditation if it is not able to continue the services, but that shall not happen in the middle of the term under any circumstances. In such condition, the cost involved in shifting the learners etc., would be borne by the AVI.
यदि एमओयू से उत्पन्न अथवा उसके संबंध में द्वितीय पार्टी और प्रथम पार्टी के बीच कोई विवाद होता है तो वह विवाद प्रथम पार्टी द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ को दिया जाएगा जिसका निर्णय द्वितीय पार्टी के लिए अंतिम एवं बाध्य होगा ।
In case of any dispute between the party of the second part and party of the first part arising out of or in relation to the MOU, the dispute shall be referred to the sole arbitrator appointed by the party of the first part whose decision shall be final and binding on the party of the second part.

15. यदि दोनों पार्टियों के बीच में कोई विवाद होता है तो सभी मामले नोएडा के न्यायालय में निपटाए जायेंगे और क्षेत्राधिकार सिर्फ नोएडा (उ.प्र.) के न्यायालयों का होगा।
In case of any dispute arising out of the relation between the parties, the jurisdiction of the Courts and Tribunals will be at the Court of Law, NOIDA (UP) only.

16. यदि उपर्युक्त नियम और शर्तें द्वितीय पार्टी को स्वीकार्य हैं तो वह आप अपनी स्वीकृति नीचे दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर करके करें जिससे विद्यालय/संस्था को ऊपर निर्धारित नियम और शर्तों के अनुसार तथा भविष्य में लागू किए जाने वाले नियमों और शर्तों के अनुसार अध्ययन केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति दी जा सके।
In case the above stated terms and conditions are accepted by the Second Party, acceptance thereof be indicated by putting signatures in the space provided below, so that the School/Institution may be allowed to act as an AVI in accordance with the terms and conditions stipulated herein above and subject to such terms & conditions which may be enforced in future in the facts and circumstances.

उपर्युक्त समझौता ज्ञापन में दिए गए नियमों और शर्तों पर हमारी स्वीकृति के रूप मेंए हम ______________________ दिन ____________________माह सन् दो हजार .... को हस्ताक्षर करते हैं।

We put our hands on this ________________ day of ________________ month Two Thousand __________________ as a token of our accepting the terms and conditions as set forth in the above Memorandum of Understanding.

एनआईओएस के लिए और उसकी ओर से
For and on behalf of NIOS

हस्ताक्षर/Signature
नाम/Name
सचिव (एनआईओएस)
Secretary (NIOS)

कार्यालयी मुहर/Official Stamp
स्थान/Place
तिथि/Date:

गवाह
Witnesses

1. ______________________
(हस्ताक्षर)
(Signature)
नाम और पता
Name & Address
____
____
____

2. ______________________
(हस्ताक्षर)
(Signature)
नाम और पता
Name & Address
____
____
____

संस्थान के लिए और उसकी ओर से
For and on behalf of the Institution

हस्ताक्षर/Signature
नाम/Name
पदनाम/प्राचार्य/प्रमुख
Designation (Principal/Head)

कार्यालयी मुहर/Official Stamp
स्थान/Place
तिथि/Date:

गवाह
Witnesses

1. ______________________
(हस्ताक्षर)
(Signature)
नाम और पता
Name & Address
____
____
____

2. ______________________
(हस्ताक्षर)
(Signature)
नाम और पता
Name & Address
____
____
____